विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अन्तर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

युगों वाले कहने का निर्देश है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा बफाली होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदायन पर लापूर होने वाले कार्यों, अभ्यास तथा परिपारवर्ष के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदायन को निर्विरोध करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध है)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में बृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से बृहद प्रारंभ किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज़ के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपशम्म (bio-degradable) नहीं होते हैं, इसलिए समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का समानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करता है एक व्यावहारिक समस्या है। अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुसार, जनता द्वारा केवल कागज़ से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज़ के झंडों को न ली जाए और न ही
राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्री, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापारिक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सत्ता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।

भवदीय,
संयोजक - यथोपरि

1. नस्जीफ या राजकोट जैसे क्षेत्रों के अनुरूप एकांत में किया जाया। अतः, आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने शंके का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट भीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,
संयोजक - यथोपरि

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309 2421

(प्रेम प्रकाश)
12/2/2021
(प्रेम प्रकाश)
12/2/2021
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309 2421
भारतीय झंडा संहिता
2002

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली
འཕེལ་བ་ཀྱི་འཛིན་ལ་བཟོ།

1. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
2. མ་གྲོ་བཟང་།
3. སྤཿ་གྲོ་བཟང་།
4. མ་གྲོ་བཟང་།
5. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
6. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
7. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
8. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
9. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
10. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
11. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
12. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
13. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
14. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
15. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
16. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
17. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
18. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
19. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
20. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
21. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
22. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
23. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
24. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
25. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
26. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
27. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
28. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
29. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
30. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
31. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
32. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
33. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
34. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
35. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
36. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
37. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
38. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
39. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
40. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
41. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
42. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
43. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
44. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
45. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
46. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
47. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
48. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
49. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
50. བོད་ལྷ་ཞིང་ཡུང་།
भाग-1

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होंगी जिसमें समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां या छोटी पट्टियां होगी। सबसे ऊपर की भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी भारतीय हरे रंग की। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी। जिसके सीधे से समान अंतर पर 24 धारियों वाले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्क का एक डिजाइन होगा।
अशोक चक्क अधिमान्यत: सक्रीन प्रिंटिंग या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कटा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केंद्र में झंडे के दोनों से सप्त तौर पर दिखाई देगा।

1.2. भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी/सूती/सिक्क खादी कपड़े से बना होगा।

1.3 राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित हैं:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>झंडे का आकार वर्ग</th>
<th>मिलीमीटरों में माप</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>6300 X 4200</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3600 X 2400</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2700 X 1800</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1800 X 1200</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1350 X 900</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>900 X 600</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>450 X 300</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>225 X 150</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>150 X 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.5 फहराने के लिए उपयुक्त आकार के झंडे का चुनाव करना चाहिए।
450 X 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगण्मान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिये, 225 X 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 X 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेंजों के लिए झंडे हैं।
भाग-II

आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

2.1 आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गोरख अपसन निवारण अधिनियम, 1971** तथा इस विषय पर अधिनियमित किसी अन्य विधान में दी गई शर्तों के अलावा अन्य कोई प्रतिवंध नहीं होगा। उपरोक्त अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए —

* संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः—
(क) 'संप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, ग्रंथि, छाया, तमाशा, कोट—ऑफ—आर्म्स या विनिर्मित स्वरूप से है;

धारा 3. इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केंद्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति में बिना केंद्रीय सरकार द्वारा यथा—निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह्न या उससे मिलती—जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा।

नोट: इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।
(i) संप्रतिक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करते हुए झंडे का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

(iii) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक भवनों पर उन अवसरों को छोड़ कर जिन के लिए सरकार ने झंडे को आधा झुका कर फहराने के अनुदेश जारी कर रखे हैं, शेष अवसरों पर झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा।

(iv) आम तौर पर किए जाने वाले मृतक संस्कारों सहित झंडे को किसी भी रूप में लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा।

**राष्ट्रीय गोरख अपमान निवारण अधिनियम, 1971**

धारा 2: कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरुपित करता है, दृष्टि करता है, कुरुपित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिपणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।”
स्पष्टीकरण 2 - 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, झाड़ीया या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3 - 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहाँ जनता की पहुँच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

(v) झंडे का प्रयोग न तो किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में किया जाएगा और न ही इसे तकियों, रुमालों, नेपकियों अथवा किसी छैस सामग्री पर कढ़ाई अथवा मुम्बित किया जाएगा;

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएँगे;

(vii) झंडे को किसी वस्तु के लेने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;

लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस या समारोहों के एक भाग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें गुलाब की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(viii) किसी प्रतिमा के अन्वारण के अवसर पर झंडे को विशेषतया और अलग से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता में मंच के ऊपर लपेटने के लिए किया जाएगा;

(x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा;
(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;

(xii) झंडे का प्रयोग इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(xiii) झंडे को जानबूझकर "केसरिया" रंग को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराया जाएगा;

2.2 साधारण जनता, किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा विधालय के सदस्य राष्ट्रीय झंडे को सभी दिवसों और अवसरों, समारोहों अथवा अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकते हैं। सम्मान व प्रतिष्ठा के अनुसार राष्ट्रीय झंडे को –

(i) जब भी कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए।

(ii) क्षतिग्रस्त अथवा अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही समय में एक ही ध्वज–दंड से नहीं फहराया जाएगा;

(iv) संहिता के भाग-III की धारा -IX में निहित उपबन्धों के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा;

(v) यदि झंडा किसी वक्ता के सभा मंच पर फहराया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता श्रोतागण की ओर मुँह करे तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को दीवार के साथ पड़ स्थिति में वक्ता के पीछे और उससे ऊपर फहराया जाना चाहिए;

(vi) जब झंडा किसी दीवार के सहारे, पड़ और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लम्बाई में खड़ा करके फहराया जाए, तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाई ओर होगा (अर्थात् यह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाई ओर होगा)
(vii) जहां तक सम्भव हो उस सीमा तक एक निर्धारित आकार के झंडे को प्रदर्शित किया जाए और जहां तक सम्भव हो झंडे की लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।

(viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर या बराबर नहीं लगाया जाएगा और न ही पुष्प अथवा माला या प्रतीक सहित अन्य कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है।

(ix) झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए बन्दनवानर गुच्छे अथवा पताका के रूप में या इसी प्रकार के किसी कामों के लिए नहीं किया जाएगा।

(x) पेपर से बने झंडे का प्रयोग जनता द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों, संस्कृति और खेलकूद स्पर्धायां पर फहराया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने पर या खेलाधिकार के समाप्त होने पर फहराया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान पूरे गौरव के साथ और निजी तौर पर किया जाएगा।

(xii) जहां झंडे को खुले में फहराया जाना हो, जहां तक हो सके, उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौसम संबंधी परिस्थितियों का ख्याल किए विना फहराया जाना चाहिए।

(xii) झंडे को इस तरह से फहराया या बांधा न जाए जिससे कि वह क्षतिग्रस्त हो, और

(xiii) जब झंडा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाए तो उसे पूरी तरह से एकांत में और अधिमान्यत: जलाकर या ऐसा कोई तरीका अपनाकर पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए जिससे उसकी गरिमा बनी रहे।

धारा II

2.3 स्कूलों में राष्ट्रीय झंडा फहराने, उसका अभिवादन करने तथा शपथ लेने आदि के संबंध में निम्नलिखित आदर्श अनुदेशों का पालन किया जाएः —
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी।
शपथ लेने के समय सभा साक्षात् (अटेशन) अवस्था में रहेगी।
प्रधानाध्यापक औपचारिक रूप से शपथ दिलाएंगे और सभा उनके साथ—साथ शपथ दोहराएंगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी:-
हाथ जोड़कर खड़े हुए सभी लोग निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे:-
"मैं राष्ट्रीय झंडे और उस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है।"

भाग III

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा I

रक्षा प्रतिष्ठानों/मिशनों/पोस्टों के प्रमुख

3.1 इस भाग के उपबंध उन रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए लागू होंगे जिनके राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने के संबंध में अपने स्वयं के नियम विद्यमान हैं।

3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थिति उन मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों के मुख्यालयों और आवासों पर फहराया जा सकता है जहां राजनीतिक और कॉशुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा अपने सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने की प्रथा है।
धारा II

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उक्त धारा I में दिए गए उपबंधों के अध्यधीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में दिए गए उपबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 जब कभी झंडा सरकारी तौर पर फहराया जाए तो सिर्फ झंडा काम में लाया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिह्न लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी अच्छा यही है कि उपयुक्त आकार के ऐसे ही झंडे फहराए जाएं।

धारा III

झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे समानान्तर स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां यह साफ-साफ दिखाई दे सके।

3.6 जहां किसी सार्वजनिक इमारत पर झंडा फहराने की प्रथा है उस भवन पर यह रविवार और चुनावों सहित सभी दिनों में फहराया जाएगा और इस संहिता में निहित व्यवस्था को छोड़कर इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवन पर रात रखे भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा बहुत ही विशेष अवसरों पर किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा तेजी के साथ ऊपर चढ़ाया जाएगा, और थीरे–थीरे एवं आदर के साथ नीचे उतारा जाए। यदि झंडे को ऊपर चढ़ाने समय और नीचे उतारने समय बिगुल भी बजाया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही ऊपर चढ़ाया या नीचे उतारा जाए।
3.8 यदि झंडा इमारत के अगले हिस्से या बालकनी या खिड़की पर आ या तिरछे फहराया जाए तो झंडे का केसरी रंगवाला भाग डंडे के उस सिरे की ओर होगा जो खिड़की के छज्जे, बालकनी या अगले हिस्से से सबसे दूर हो।

3.9 जब झंडा किसी दीवार के सहारे पट्ट और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरी भाग सबसे ऊपर रहेगा और जब वह लम्बाई में खड़ा करके फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाई ओर होगा अर्थात् यह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाई ओर होगा।

3.10 यदि झंडा सभा मंच पर फहराया जाए तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता—श्रोतागण की ओर मुंह करें तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे; वरना झंडे को दीवार के साथ पट्ट स्थिति में वक्ता के पीछे और उससे ऊपर फहराया जाएगा।

3.11 किसी मूर्ति के अनावरण जैसे अवसरों पर झंडा महत्व के साथ और अलग से फहराया जाएगा।

3.12 यदि झंडा किसी मोटर कार पर अकेले फहराया जाएगा तो उसे कार के सामने दाईं ओर कसकर लगाये हुए एक डंडे (स्टाफ) पर फहराया जाएगा।

3.13 किसी जुलूस या परेड में ले जाते समय झंडा चलते हुए जुलूस या परेड की दाईं ओर अर्थात् सवाय झंडे की दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों से बनी हुई एक पंक्ति हो तो राष्ट्रीय झंडा उस पंक्ति के बीच की जगह से आगे की ओर होगा।

धारा IV

झंडे का गलत तरीके से फहराया जाना

3.14 फटा हुआ या मौला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जाएगा।
3.16 किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय झंडे के बराबर भी नहीं रखा जाएगा; और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज–दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल हैं।

3.17 झंडे का प्रयोग बंदनवार, फीता या झंडियां बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडा न तो किसी वक्ता की देखभाल के आवरण के रूप में काम में लाया जाएगा और न ही वक्ता के मंच को ऊपर से ढकने के लिए।

3.19 'केसरी' भाग को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे को जमीन या फर्श को छूने या पानी में चिपटने नहीं देना चाहिए।

3.21 झंडे को इस प्रकार से फहराया या बांधा नहीं जाएगा जिससे कि उसे क्षति पहुंचे।

धारा V

दुरुपयोग

3.22 राज्य/सेना/केंद्रीय अद्वैत सैनिक बलों की ओर से किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अलावा, जो कि आगे बताए गए हैं, झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडा किसी गाड़ी, रेल–गाड़ी अथवा नाव के हुड़, सिरे, बाजू या पिछले भाग पर नहीं लपेटा जाएगा।

3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह खराब या मैला हो जाए।

3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही सम्मानरहित ढंग से उसका निपटान करना चाहिए, बल्कि झंडे
को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए उसे जला देना अथवा झंडे के गोरक्ष के अनुरूप किसी दूसरे तरीके को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा।

3.26 झंडा किसी इमारत को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

3.27 झंडा किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा। यह गड्ढियों, रुमालों, बक्सों अथवा नेपकंटों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।

3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।

3.29 झंडा किसी भी रूप में विज्ञापन के काम में नहीं लाया जाएगा और न ही उस झंडे पर, जिस पर कि झंडा फहराया जाता है, कोई विज्ञापन लगाया जाएगा।

3.30 झंडे को किसी वस्तु को लेने, देने, पकड़ने या ले जाने के लिए आधार के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा।

किन्तु विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोहों के एक भाग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व इसके अंदर फूलों की पंखुडियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा VI

झंडा अभिवादन

3.31 झंडे को फहराते समय और इसे नीचे लाते समय अथवा झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थिति सभी लोग अपना गुन झंडे की ओर रखेंगे और सावधान (अर्तःशन) की मुद्रा में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति उपयुक्त ढंग से अभिवादन करें। जब झंडा चलती हुई पंक्तियों के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़े रहें या जब उनके पास गुजरें तो वे उसका अभिवादन करें। विशिष्ट व्यक्ति शिरोवस्त्र (हेड ड्रेस) के बिना भी सलामी ले सकते हैं।
གཤེགས་དང་དཔྱད་ཐམས་ཅད་བཀོད། 3.32

IIA འཐབ་
3.33 दूसरे राष्ट्रों के झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाद उन राष्ट्रों के अन्य नामों के वर्ण क्रम के अनुसार रखे जाएंगे। इस स्थिति में झंडे की पंक्ति के शुरू और अन्त में राष्ट्रीय झंडा रखा जा सकता है और साथ ही वहां भी रखा जा सकता है जहाँ वर्णक्रम के अनुसार राष्ट्रों में उसका स्थान स्वाभाविक रूप से आता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा, और सबसे बाद में नीचे उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले घेरे में, अर्थात्, वृत्त-खंड (आक्ष) या अर्धवृत्त (सेमिस्कर्ल) में फहराया जाए, तो उसके लिए इस धारा के पिछले खंड में बताई गई क्रियाविधि ही अपनायी जाएगी। यदि झंडे एक पूरा घेरा बनाते हुए फहराए जाते हैं, तो राष्ट्रीय झंडे से घेरे का आरंभ माना जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी के अंकों के क्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अंतिम झंडा राष्ट्रीय झंडे के बाजू में आ जाए। झंडों के घेरे का आरंभ और अन्त दर्शाने के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय झंडे रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द घेरे में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को रखा जाएगा।
3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराये जाएं, जो एक-दूसरे को काटते हैं, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर, अर्थात झंडे के अपने दाएं की ओर होगा और उसका डंडा दूसरे झंडे के डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है :-
3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाए तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर हो सकता है। सामान्य परम्परा ऐसी है कि राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता कि उससे समाने की ओर देखने पर वह सबसे दाई ओर होता है, अर्थात् ध्वज-दंड की ओर मुंह किए हुए दर्शक के बाई ओर होता है। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है:—
3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे झंडों के साथ फहराया जाएगा तो सारे ध्वज—दंड बराबर आकार के होंगे। अन्तरराष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शान्ति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊंचा फहराना वर्तित है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज—दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग—अलग झंडों के लिए अलग—अलग ध्वज—दंड होंगे।

धारा VIII

सार्वजनिक इमारतों / सरकारी आवासों पर झंडा फहराना

3.39 आम तौर से उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला कच्चहरियाँ, जेल तथा जिला मंडल के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों जैसी मुख्य सार्वजनिक इमारतों पर ही झंडा फहराना चाहिए।

3.40 सीमान्त क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (वैक्पोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और दूसरी ऐसी खास जगहों पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व होता है, झंडा फहराया जा सकता है। इसके अलावा, सीमावर्ती गाँवी दलों (बार्डर पेट्रोल) के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप राज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हों, तो उनके सरकारी निवास स्थानों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दौरे पर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी निवास स्थान पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा, संश्रृंख्ला व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और मुख्यालय में वापस अपने पर उनके उस भवन के मुख्य द्वार से अन्तर प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए। जब संश्रृंख्ला व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों
तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और उनके उस स्थान से बाहर जाते ही राष्ट्रीय झंडा-उतार दिया जाना चाहिए।
तथापि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल) तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उत्सव के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर ऐसे सरकारी निवास स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री किसी संस्था का दौरा करें तो उनके सम्मान के रूप में उस संस्था द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 विदेशी संबंधित व्यक्तियों, अर्थात् राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सम्राट या युवराज या प्रधानमंत्री के दौरे के अवसर पर ऐसी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जो उस संबंधित व्यक्ति का स्वागत कर रही हों, और उन सरकारी भवनों पर जहां उस यात्रा के दौरान उस दिन व दंड संबंधित व्यक्ति जाने वाले हों, उ गारा VII में विहित नियमों के अनुसार संबंधित देश के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

धारा IX

मोटर कारों पर झंडा फहराया जाना

3.44 मोटर-कारों पर झंडा फहराने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित 
व्यक्तियों तक सीमित है वा——

(1) राष्ट्रपति;
(2) उप-राष्ट्रपति;
(3) राज्यपाल और उप-राज्यपाल;

(4) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के अध्यक्ष उन देशों में जहां कि वे नियुक्त हों;

(5) प्रधानमंत्री और अन्य केंबिनेट मंत्री;
केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और अन्य केंबिनेट मंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;

(6) अध्यक्ष, लोक सभा;
उपाध्यक्ष, राज्य सभा;
उपाध्यक्ष, लोक सभा;
राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष;
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के अध्यक्ष;
राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष;
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;

(7) भारत के मुख्य न्यायाधिकारिता;
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिकारिता;
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

3.45 पराभव 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित संबंधत व्यक्ति, जब कभी आवश्यक या उचित समझ, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं।

3.46 जब कोई विदेशी संबंधत व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं ओर फहराया जाएगा और संबंधित दूसरे देश के व्यक्ति का झंडा कार के बाईं ओर फहराया जाएगा।
धारा X

रेल गाड़ियों / वायुयानों पर झंडा फहराया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश के अंदर ही विशेष रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करें तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हो वहां के प्लेटफॉर्म की ओर ज़्राईवर के कैबिन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी फहराया जाए जबकि वह विशेष गाड़ी रुकी हुई हो या उस स्थान पर पहुँचने वाली हो जहां उसे रुकना है।

3.48 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय उनके विमान पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। जिस देश कि यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ फहराया जाना चाहिए, परन्तु मार्ग में जब किसी देशों में विमान उतरें, तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उसके स्थान पर उन-उन देशों के झंडे फहराए जाएंगे जहां-जहां विमान उतरे।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर फहराया जाएगा जिस ओर से राष्ट्रपति विमान में चढ़े या उससे उतरें।
धारा XI

झंडे को झुकाना

3.50 निम्नलिखित संबंधित व्यक्तियों के देहान्त की स्थिति में उनके देहान्त के दिन उनके नाम के सामने उल्लिखित स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा झुका दिया जाएगा:

<table>
<thead>
<tr>
<th>संबंधित व्यक्ति</th>
<th>स्थान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>संपूर्ण भारत</td>
</tr>
<tr>
<td>उप-राष्ट्रपति</td>
<td>संपूर्ण भारत</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रधानमंत्री</td>
<td>संपूर्ण भारत</td>
</tr>
<tr>
<td>लोक सभा के अध्यक्ष</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>भारत का मुख्य न्यायाधिकरण</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री</td>
<td>दिल्ली और राज्यों की</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>राजधानियां</td>
</tr>
<tr>
<td>केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्यपाल</td>
<td>संबंधित संपूर्ण राज्य या</td>
</tr>
<tr>
<td>उप-राज्यपाल</td>
<td>संघ सशस्त्र क्षेत्र में</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्यों के मुख्यमंत्री</td>
<td>संबंधित संपूर्ण राज्य या</td>
</tr>
<tr>
<td>संघ सशस्त्र क्षेत्रों के मुख्यमंत्री</td>
<td>संघ सशस्त्र क्षेत्र में</td>
</tr>
</tbody>
</table>

किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री संबंधित राज्य की राजधानी

3.51 यदि किसी संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना अपराध करते हुए उनके देहान्त के दिन भी झंडे झुका दिए जाएंगे, तब उस दिन सूर्योदय से पूर्व अंतर्वर्तित न करने दी गई हो।
3.52 उक्त संबंधत व्यक्ति की अंत्येष्टि के दिन, उस स्थान पर जहां अंत्येष्टि की जानी हो, झंडे झुका दिये जाएंगे।

3.53 यदि किसी संबंधत व्यक्ति की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया जाना हो तो केंद्रीय संबंधत व्यक्ति के मामले में सारे भारतवर्ष में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संबंधत व्यक्ति के मामले में संबंधित पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में पूरी शोकावधि के दौरान झंडे झुके रहेंगे।

3.54 विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु पर झंडे झुकाये जाने और जहां आवश्यक हो राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में वे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि प्रत्येक मामले में गृह मंत्रालय द्वारा समस-समय पर जारी किये जाएंगे।

3.55 उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, यदि झंडे को झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियावाला बाग के शहीदों की स्मरण में), भारत सरकार द्वारा विनिर्देश राष्ट्रीय उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पढ़ते हैं तो उस भवन के अलावा जहां मृत्यु का शव रखा हुआ हो, अन्य स्थानों पर झंडे नहीं झुकाये जाएंगे और उस भवन में भी जहां शव रखा गया है उस समय तक झंडा झुका रहेगा जब तक कि शव वहां से उठाया नहीं जाता है और शव के उठाये जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा ऊँचा उठा दिया जाएगा।

3.56 यदि शोक झंडा ले जाने हुए परेड या जुलूस के रूप में मनाया जाना हो तो भाले के अग्र भाग में काले कपड़े (क्रेप) की दो पताका लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार के काले कपड़े (क्रेप) का प्रयोग सरकार के आदेश से ही हो सकेगा।

3.57 झंडा झुकाये जाने समय झंडा कुछ क्षण के लिए बिल्कुल ऊँचाई पर फहराया जाएगा और तब झंडे को नीचे लाया जाएगा किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर ऊपर तक उठाया जाएगा।
टिप्पणी: झंडा आधा झुकाए जाने (हाफ-मास्ट) से लागू है झंडे को चोटी तथा ‘गाई लाइन’ के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और ‘गाई लाइन’ न होने की अवस्था में झंडे को झंडे (स्टाफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/केंद्री, अर्थ सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येर्षित के अवसरों पर शावपेटिका या अर्थ झंडे से ठक दी जाएगी और झंडे का केंद्रिय भाग अर्थ या शावपेटिका के अधिकार की ओर रहेगा। झंडे को कब्ज में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

5.59 विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों या विदेशी सरकारों के अध्यक्षों की मृत्यु के समय उस देश में प्रत्यायित भारतीय दूतावास राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है बाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्देश राष्ट्रीय उत्सव के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य संमानत व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था में दूतावासों को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहाँ कि स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहां–कहीं भी आवश्यक हो, राजनयिक कोर के अविष्टाटा डीन ऑफ दि डिप्लोमेटिक कोर से लगाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संदर्भ द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाहरी वर्ष में निन्न प्रकार से अधिनियमित किया जाएगा:-

1. सार्वजनिक शीर्षक और विस्तार

   (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

   (2) इसका विस्तार संयुक्त भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय गौरव एवं भारतीय योद्धा का अपमान

   कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय 
   राष्ट्रीय गौरव पूरा करने या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलवाया है, वित्त प्रदान करता है, 
   विकसित करता है, पुनः बनाए दबाव करता है, उप रक्षा या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकार करता है या 
   (भौतिक या लिखित स्वतंत्र में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कराराम 
   से, या जुनिंग से, या यहीं से बंद किया जाएगा।

स्थानीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विविध सम्मान तथापि से भारतीय राष्ट्रीय गौरव 
   बँटे में परिवर्तन करने की पूर्व दिन से संबंधित के किसी उद्देश्य की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते 
   हुए वह कोई उपयोगी या अपमानात्मक कार्य करते हुए कोई जिला द्वारा गौरव के अंतर्गत अपमान नहीं 
   बनता।

स्थानीकरण 2- ‘भारतीय राष्ट्रीय गौरव’ की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, झाड़ौंग या 
   फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय गौरव बँटे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्थानिक विचार 
   जो किसी पद्धति से बना हो या पद्धति 
   पर दशा गया हो, शामिल है।

स्थानीकरण 3- ‘सार्वजनिक स्थान’ की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए 
   यह अन्य स्थान जहाँ जनता की पहुँच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।
(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडा का घंटे अपघात या अवारा करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को रोगी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडा को छुकाना; या

(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किन वस्तुओं पर संयुक्त भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन वस्तुओं के विवाद झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या

(घ) राजसैनी अंशीयों या वायुसैनिक भर्तों या अन्य आर्मी/अफसरों की अंशियों को छोड़कर झंडा का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) #भारतीय राष्ट्रीय झंडा का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेश्यावस्था, वस्तु या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहुँचा जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुर्सीयों, अपंगस्थों, आयोगों या किसी पोशाक सामग्री पर काश्मीरीयों या घाटों करने, उपयोग करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडा का किसी प्रकार का उपयोग करना; या

(छ) गर्भांश विविध या स्वतंत्रता विवि सहित विविध अवसरों पर समारोह के प्रकार अनुसार या अनुसार अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों को पंखूदियां रखे जाने के विवाद भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्रभाव करने, देने या ले जाने वाले पत्र या रंग के रूप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिभा या स्थानक या कक्षा को सेवा या कला के मंच को खनन के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानकृति कार्य भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से खुदे देना या यानी पर भोजन देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी चाव, रेतसाड़ी, आदि किसी वापरों या पैकिंग किसी अन्य वस्तु के नास्ते, ताप और बागल या पिकक्रेट भाग पर लानें, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में बधाई लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(स) जानकृति कार्य के सीडी पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।
3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी व्यक्ति में व्यक्ति के रूप में कार्रवाई के लिए उसके तीन साल तक के अपराध, या जुम्मला, या दोनों के दंड किया जाएगा।

* अक्टूबर 2004 की बाद के अपराध के लिए न्यूटन दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे भाषा 2 या भाषा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषित ठहरा करता है, ऐसी किसी अपराध के लिए दोषित ठहराभ करता है तो उसे दोबारा बाद के या उसके बाद के हर बाद के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कार्रवाई के दंड किया जा सकता है।

नोट 1: *राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2: #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।